बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– FC-788

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 11/08/2017

विषय– पटना जिलान्तर्गत SH-84 फतुहाँ–दनियावां पथ के किनारे मे. अल्ट्राटेक सिमेंट लि. के द्वारा उपरी पुल (ROB) निर्माण करने के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अतन्तर्गत 0.77 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति (Stage – II) के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/18288/2016/1005 दिनांक 30.12.2016,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 28.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 20.09.2016 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008....................	NPV के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.77 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 4,82,020/– (चार लाख बिरासी हजार बीस रूपये) मात्र को Account No. 1506219918228201 6355, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.06.2017 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR52017062298376324 है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।

4	The State Government shall plant 50 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Indigenous tree species should be preferred for such plantation. The user agency shall transfer the cost of plantations and its maintenance for 10 years........	हरितावरण को बनाये रखने हेतु वन प्र... पदाधिकारी, पटना के द्वारा उपलब्ध कराये ग... प्राक्कलन के आधार पर कुल राशि रू० 6,53,879/– (रू० छः लाख तीरपन हजार आठ सौ उनासी) मात्र Account No. 15062199182282016355, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.06.2017 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR5201706229 8376324 है।
5	The State Government shall deposit Net Present Value and all other funds with the Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Account No. 15062199182282016355, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore के खाता में दिनांक 22.06.2017 को जमा करा दी गयी है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
6	State Govt. shall upload the details of Compensatory levies demanded and received from the project proponent in the Ministry website and submit compliance in this regard.	Compensatory levies demanded and received को Ministry website पर अपलोड कर दिया गया है।
7	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing...........	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the road	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the..........	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि ROB के निर्माण के समय वन अच्छादित भू खण्ड के समीप से मिट्टी नहीं काटी जायेगी और न ही उसपर कोई वस्तु का संग्रहण करेंगे।
10	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/ rivers/ canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
11	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff engaged in construction activity do not damage.............	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित भूः खण्ड के निर्माण में उनके द्वारा नियोजित मजदूर/ कर्मचारी निर्माण के समय वन के जीव जन्तु को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस– पास Flora or Fauna उपलब्ध नहीं होने की सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी है।

12	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval..................	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित भू: खण्ड/वन भूमि के प्रयोग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
13	The forest land proposed for diversion shall under no circumstances be transferred to any other agency, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित वन भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/ हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं किया जायेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित भू–खंड (वन क्षेत्र) का उपयोग ROB निर्माण कार्य के लिए किया जायेगा।
15	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts,.......	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
16	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय राँची, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समय–समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रबंधन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों/शर्त्तों का पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.77 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC - 788 दिनांक– 11/08/2017

प्रतिलिपि : वन संरक्षक पटना अंचल, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना को सूचना हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC - 788 दिनांक– 11/08/2017

प्रतिलिपि : मे. अल्ट्राटेक सीमेंट प्रा. लि., ग्राम+पो०–शाहजहाँपुर निकट दनियावां, जिला–पटना, पिन–801305 को सूचना हेतु प्रेषित।

11/8/17
(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

O/C